

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---:: प्रतिकर वितरण हेतु सूचना ::---

क्रमांक/

/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2024

दुर्ग, दिनांक 08/11/2024

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि ग्राम:-धनोरा पहन-39 तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 (दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण) हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा अवार्ड (भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ/82 वर्ष 2021-22 अवार्ड) पारित दिनांक 20.12.2022 द्वारा घोषित किया जा चुका है।

अर्जित मुआवजा राशि का विवरण निम्नानुसार है: -											
क्रं.	खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल		भूमि स्वामी का नाम व पिता/पती का नाम	अर्जित भूमि मूल्यांकन राशि	अर्जित भूमि का 02 गुणांक	परिसंपत्ति की राशि	योग	100 प्रतिशत सोलेशियम	ब्याज राशि	कुल मुआवजा राशि
		हे0 में	व0 मी0 में								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	(363/1) 363/5	0.011	110	मुरली मोहन सोनी पिता बालुराम सोनी, राजमोहन सोनी पिता बालुराम सोनी	62700	125400	0	125400	125400	35965	286765

परियोजना में अर्जित भूमि संबंधी राजस्व अभिलेख ऋण-पुस्तिका/बी-1/खसरा/नक्शा मूल प्रति विवरण आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

अतः परियोजना में अर्जित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु आप कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में दिनांक 10 व 11/12/2024 दिन मंगलवार एवं बुधवार को पूर्वान्ह समय 11:30 बजे उपस्थित होंगे। साथ में राजस्व अभिलेख ऋण-पुस्तिका, बी-1, खसरा, नक्शा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित मूल प्रति का छायाप्रति, प्रति खसरावार 2-2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो व 1-1 रसीद टिकट लेते आवे। निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान आपके सुविधा के अनुसार खाते में ONLINE-BHOOMIRASHI PORTAL के माध्यम से की जाएगी।

सहपत्र:- शून्य



अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)
(भू-अर्जन) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---:: प्रतिकर वितरण हेतु सूचना ::---

क्रमांक/

/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2024

दुर्ग, दिनांक 08/11/2024

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि ग्राम:-धनोरा पहन-39 तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 (दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण) हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा अवार्ड (भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ/82 वर्ष 2021-22 अवार्ड) पारित दिनांक 20.12.2022 द्वारा घोषित किया जा चुका है।

अर्जित मुआवजा राशि का विवरण निम्नानुसार है: -											
क्रं.	खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल		भूमि स्वामी का नाम व पिता/पती का नाम	अर्जित भूमि मूल्यांकन राशि	अर्जित भूमि का 02 गुणांक	परिसंपत्ति की राशि	योग	100 प्रतिशत सोलेशियम	व्याज राशि	कुल मुआवजा राशि
		हे0 में	व0 मी0 में								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	(363/1) 363/3	0.005	50	बालमुकंद तिवारी पिता एस.एस. तिवारी	28500	57000	0	57000	57000	16348	130348

परियोजना में अर्जित भूमि संबंधी राजस्व अभिलेख ऋण-पुस्तिका/बी-1/खसरा/नक्शा मूल प्रति विवरण आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

अतः परियोजना में अर्जित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु आप कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में दिनांक 10 व 11/12/2024 दिन मंगलवार एवं बुधवार को पूर्वान्ह समय 11:30 बजे उपस्थित होंगे। साथ में राजस्व अभिलेख ऋण-पुस्तिका, बी-1, खसरा, नक्शा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित मूल प्रति का छायाप्रति, प्रति खसरावार 2-2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो व 1-1 रसीद टिकट लेते आवे। निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान आपके सीधे बैंक खाते में **ONLINE-BHOOMIRASHI PORTAL** के माध्यम से की जाएगी।

सहपत्र:- शून्य



अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)
(भू-अर्जन) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---:: प्रतिकर वितरण हेतु सूचना ::---

दुर्ग, दिनांक 08/11/2024

क्रमांक/

/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2024

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि ग्राम:-धनोरा पहन-39 तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 (दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण) हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा अवार्ड (भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ/82 वर्ष 2021-22 अवार्ड) पारित दिनांक 20.12.2022 द्वारा घोषित किया जा चुका है।

अर्जित मुआवजा राशि का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रं.	खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल		भूमि स्वामी का नाम व पिता/पती का नाम	अर्जित भूमि मूल्यांकन राशि	अर्जित भूमि का 02 गुणांक	परिसंपत्ति की राशि	योग	100 प्रतिशत सेलेशियम	व्याज राशि	कुल मुआवजा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	(363/1) 363/4	0.011	110	तृप्ति चंद्राकर पति महेश चंद्राकर	62700	125400	0	125400	125400	35965	286765

परियोजना में अर्जित भूमि संबंधी राजस्व अभिलेख ऋण-पुस्तिका/बी-1/खसरा/नक्शा मूल प्रति विवरण आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

अतः परियोजना में अर्जित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु आप कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में दिनांक 10 व 11/12/2024 दिन मंगलवार एवं बुधवार को पूर्वान्ह समय 11:30 बजे उपस्थित होंगे। साथ में राजस्व अभिलेख ऋण-पुस्तिका, बी-1, खसरा, नक्शा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित मूल प्रति का छायाप्रति, प्रति खसरावार 2-2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो व 1-1 रसीद टिकट लेते आवे। निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान आपके सीधे बैंक खाते में ONLINE-BHOOMIRASHI PORTAL के माध्यम से की जाएगी।

सहपत्र:- शून्य



अनुविभागीय अधिकारी (रा0.)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)
(भू-अर्जन) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)